



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938

No. 634]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 872(अ).—केंद्रीय सरकार, कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम 2016 है।
(2) ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम 2014 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-
 - (1) नियम 2, के खण्ड (ख) में, शब्द “अध्यक्ष”, के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
 - (2) नियम 5 में -
 - (क) खण्ड (ख) में, “अध्यक्ष” शब्द, के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
 - (ख) “और अन्य पदों के मामलों में जिन्हें भारत सरकार द्वारा मुख्य पदों के रूप में पहचाना गया हो”, का लोप किया जायेगा।
 - (ग) खंड (ग) में, “अध्यक्ष, जो कार्यकारी समिति द्वारा चयन के अध्यक्षीन होगा” शब्दों के स्थान पर “सचिव, जो विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन के अध्यक्षीन होगा” शब्द रखे जायेंगे।
 - (घ) खंड (घ) में, “अध्यक्ष” शब्द, के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

(ड) खंड (ड) में, “अध्यक्ष के अनुमोदन से” शब्द का लोप किया जाएगा।

3. नियम 6 में,-

(क) ‘I. सीधी भर्ती’ शीर्षक के अधीन खंड (क) में “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

(ख) ‘II. प्रोन्नति’ शीर्षक के अधीन खंड (ख) में “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

4. मूल नियम के नियम 16 के बाद निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“17.निरर्हता :- कोई अभ्यर्थी,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

सेवा हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षधर को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी। ”

5. मूल नियम की अनुसूची में “(i) “गैर-तकनीकी” प्रशासनिक या अनुसचिवीय पद” शीर्षक के अधीन :-

(i) क्रम संख्या 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(ii) क्रम संख्या 2 में -

(क) स्तंभ (3) में “वेतन बैंड-3, 15600 – 39100 रू. + ग्रेड वेतन 7600 रू.” शब्दों के स्थान पर

“वेतन बैंड-4, 37400– 67000 रू. + ग्रेड वेतन 10000 रू. ” रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (9) में, “ उप सचिव”, शब्दों के स्थान पर “ संयुक्त सचिव” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 4 में -

(क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा” शब्द रखे जायेंगे।

(ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 5 में -

(क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

(v) क्रम संख्या 6 में -

(क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “ विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 7 में -

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 8 में -

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 9 में -

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 10 में -

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(x) क्रम संख्या 11 में -

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 12 में -

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 13 में -

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(6) मूल नियमों की अनुसूची में "(ii) वैज्ञानिक" पद' शीर्षक के अधीन-

(i) क्रम संख्या 1 में -

(क) स्तंभ (11) में, दोनों जगह आने वाले "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 2 में -

(क) स्तंभ (11) में, "कार्यकारी समिति द्वारा" शब्दों के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा" शब्द रखे जायेंगे ;

- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 3 में “प्रभागीय प्रधान-[1] – सस्य-विज्ञान ” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा” शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 3 में “प्रभागीय प्रधान-[2] – पादप प्रजनन व आनुवंशिकी” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “ विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ” शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 3 में “प्रभागीय प्रधान-[3] – पादप ऊतक संवर्धन व जैव प्रौद्योगिकी” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “ विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ” शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 3 में “प्रभागीय प्रधान-[4] – पादप शरीर क्रिया विज्ञान” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “ विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ” शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 3 में “प्रभागीय प्रधान-[5] – कृषि रसायन शास्त्र” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा” शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 3 में “प्रभागीय प्रधान-[6] – पादप रोग विज्ञान” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “ विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा” शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 3 में “प्रभागीय प्रधान-[7] – कीट विज्ञान” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “कार्यकारी समिति द्वारा” शब्दों के स्थान पर “विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा” शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

- (x) क्रम संख्या 3 में "प्रभागीय प्रधान-[8] – कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी" के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "कार्यकारी समिति द्वारा" शब्दों के स्थान पर " विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा" शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 3 में "प्रभागीय प्रधान-[9] – कॉफी क्वालिटी" के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "कार्यकारी समिति द्वारा" शब्दों के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा" शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 4 में – "उपनिदेशक (अनुसंधान)" पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "कार्यकारी समिति द्वारा" शब्द के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा" शब्द रखे जायेंगे;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्दों के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 5 में "विषय वस्तु विशेषज्ञ-[1] सस्य-विज्ञान " के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 5 में "विषय वस्तु विशेषज्ञ-[2] पादप प्रजनन व आनुवंशिकी" के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 5 में "विषय वस्तु विशेषज्ञ-[3] पादप ऊतक संवर्धन व जैव प्रौद्योगिकी" के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 5 में "विषय वस्तु विशेषज्ञ-[4] पादप शरीर क्रिया विज्ञान" के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 5 में "विषय वस्तु विशेषज्ञ-[5] कृषि रसायन" के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 5 में "विषय वस्तु विशेषज्ञ-[6] पादप रोग विज्ञान" के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 5 में “विषय वस्तु विशेषज्ञ-[7] कीट विज्ञान” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 5 में “विषय वस्तु विशेषज्ञ-[8] (क) जैव रसायन शास्त्र [कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी] तथा [8] (ख) कृषि इंजीनियरी [कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी]” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xxi) क्रम संख्या 5 में “विषय वस्तु विशेषज्ञ-[9] विश्लेषणात्मक रसायन” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xxii) क्रम संख्या 5 में “विषय वस्तु विशेषज्ञ-[10] कृषि अर्थशास्त्र” के पद के लिए, स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xxiii) क्रम संख्या 5 में “विषय वस्तु विशेषज्ञ-[11] कॉफी क्वालिटी” के पद के लिए, स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xxiv) क्रम संख्या 6 में “सहायक विशेषज्ञ-[1] सस्य-विज्ञान” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xxv) क्रम संख्या 6 में “सहायक विशेषज्ञ -[2] पादप प्रजनन व आनुवंशिकी” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xxvi) क्रम संख्या 6 में “सहायक विशेषज्ञ -[3] पादप ऊतक संवर्धन व जैव प्रौद्योगिकी” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;
- (xxvii) क्रम संख्या 6 में “सहायक विशेषज्ञ -[4] पादप शरीर क्रिया विज्ञान” के पद के लिए
- (क) स्तंभ (11) में, “अध्यक्ष”, शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ख) स्तंभ (12) में, “अध्यक्ष”, शब्द के स्थान पर “सचिव” शब्द रखा जाएगा;

(xxviii) क्रम संख्या 6 में "सहायक विशेषज्ञ -[5] कृषि रसायन" के पद के लिए

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(xxix) क्रम संख्या 6 में "सहायक विशेषज्ञ -[6] पादप रोगविज्ञान" के पद के लिए

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(xxx) क्रम संख्या 6 में "सहायक विशेषज्ञ -[7] कीट विज्ञान" के पद के लिए

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(xxxi) क्रम संख्या 6 में "सहायक विशेषज्ञ -[8] जैव रसायन और कृषि इंजीनियरी

[कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी] के पद के लिए

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(xxxii) क्रम संख्या 6 में "सहायक विशेषज्ञ -[9] कॉफी क्वालिटी" के पद के लिए

(क) स्तंभ (11) में, "अध्यक्ष", शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(7) मूल नियम की अनुसूची के,-

(i) पृष्ठ संख्या 46 पर क्रम संख्या 1 के सामने "संयुक्त निदेशक [विस्तारण]" पद के लिए

(क) स्तंभ (11) में, "कार्यकारी समिति द्वारा" शब्दों के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(ii) पृष्ठ संख्या 47 पर क्रम संख्या 2 के सामने "उप निदेशक [विस्तारण]" पद के लिए

(क) स्तंभ (11) में, "कार्यकारी समिति द्वारा" शब्दों के स्थान पर " विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा " शब्द रखे जायेंगे;

(ख) स्तंभ (12) में, "अध्यक्ष", शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(8) मूल नियमों के परिशिष्ट-I में शीर्षक (i) "गैर-तकनीकी" प्रशासनिक या अनुसचिवीय पद' शीर्षक के अधीन तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ;

(ख) क्रम संख्या 2 के स्तंभ (4) की 'संशोधित वेतन संरचना [छठे वेतन आयोग के अनुसार]' से संबंधित "वेतन बैंड-3 रू. 15600 – 39100 + ग्रेड वेतन रू.7600" के अक्षर, अंकों एवं शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड -4 रू. 37400– 67000 + ग्रेड वेतन रू.10000" अक्षर, अंक एवं शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं.9/3/2007 - बागान ख]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में अधिसूचना संख्यांक 198(अ), तारीख 20 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2016

G.S.R. 872(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014, namely:-

- 1 (1) These rules may be called the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules),-
 - (1) in rule 2, in clause (b), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted;
 - (2) in rule 5, -
 - (a) in clause (b), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted;
 - (b) the words "and other posts identified as key posts by the Government of India" shall be omitted;
 - (c) in clause (c), for the words "Chairman subject to selection by Executive Committee", the words "Secretary, subject to selection by Departmental Promotion Committee" shall be substituted;
 - (d) in clause (d), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted;
 - (e) in clause (e), the words "and with the approval of Chairman", shall be omitted.
 - (3) in rule 6, -
 - (a) under the heading, 'I. Direct Recruitment', in clause (a), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted;
 - (b) under the heading, 'II. Promotion', in clause (b), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.
- (4) In the principal rules, after rule 16, the following rule shall be inserted, namely:-

"17. Disqualification.- No candidate,-

 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service;

Provided that the Board may if satisfied that, such a marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule”.

- (5) In the principal rules, in the Schedule, under the heading ‘(i) “Non-Technical” Administrative or Ministerial Posts’-
- (i) serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted;
 - (ii) in serial number 2 -
 - (a) in column (3), for the words “PB-3, Rs.15600-39100 plus GP Rs.7600”, the words “PB-4, Rs.37400-Rs.67000 with grade pay of Rs.10000” shall be substituted;
 - (b) in column (9), for the words “Deputy Secretary”, the words “Joint Secretary” shall be substituted;
 - (iii) in serial number 4 -
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (iv) in serial number 5 -
 - (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (v) in serial number 6 -
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (vi) in serial number 7 -
 - (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (vii) in serial number 8 -
 - (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (viii) in serial number 9 -
 - (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (ix) in serial number 10 -
 - (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (x) in serial number 11 -
 - (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (xi) in serial number 12 -

- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xii) in serial number 13 -
 - (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (6) In the principal rules, in the Schedule, under the heading ‘(ii) “Scientific” Posts’ -
 - (i) in serial number 1,-
 - (a) in column (11), for the word, “Chairman” occurring at both places, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (ii) in serial number 2,-
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (iii) in serial number 3, for the post of “Divisional Head - [1] Agronomy”,-
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (iv) in serial number 3, for the post of “Divisional Head - [2] Plant Breeding and Genetics”,-
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (v) in serial number 3, for the post of “Divisional Head - [3] Plant Tissue Culture and Biotechnology”,-
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (vi) in serial number 3, for the post of “Divisional Head - [4] Plant Physiology”,-
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (vii) in serial number 3, for the post of “Divisional Head - [5] Agricultural Chemistry”,-
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
 - (viii) in serial number 3, for the post of “Divisional Head - [6] Plant Pathology”,-
 - (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;

- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (ix) in serial number 3, for the post of "Divisional Head - [7] Entomology",-
- (a) in column (11), for the words, "By the Executive Committee", the words, "By the Departmental Promotion Committee", shall be substituted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (x) in serial number 3, for the post of "Divisional Head - [8] Post Harvest Technology",-
- (a) in column (11), for the words, "By the Executive Committee", the words, "By the Departmental Promotion Committee", shall be substituted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xi) in serial number 3, for the post of "Divisional Head - [9] Coffee Quality",-
- (a) in column (11), for the words, "By the Executive Committee", the words, "By the Departmental Promotion Committee", shall be substituted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xii) in serial number 4,-
- (a) in column (11), for the words, "By the Executive Committee", the words, "By the Departmental Promotion Committee", shall be substituted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xiii) in serial number 5, for the post of "Subject Matter Specialist - [1] Agronomy",-
- (a) in column (11), the word "Chairman" shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xiv) in serial number 5, for the post of "Subject Matter Specialist - [2] Plant Breeding and Genetics",-
- (a) in column (11), the word "Chairman" shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xv) in serial number 5, for the post of "Subject Matter Specialist - [3] Plant Tissue Culture and Biotechnology",-
- (a) in column (11), the word "Chairman" shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xvi) in serial number 5, for the post of "Subject Matter Specialist - [4] Plant Physiology",-
- (a) in column (11), the word "Chairman" shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xvii) in serial number 5, for the post of "Subject Matter Specialist - [5] Agricultural Chemistry",-
- (a) in column (11), the word "Chairman" shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, "Chairman", the word, "Secretary", shall be substituted;
- (xviii) in serial number 5, for the post of "Subject Matter Specialist - [6] Plant Pathology",-

- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xix) in serial number 5, for the post of “Subject Matter Specialist - [7] Entomology”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xx) in serial number 5, for the post of “Subject Matter Specialist-[8] (a) Biochemistry [Post-Harvest Technology] and [8] (b) Agricultural Engineering [Post-Harvest Technology]”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxi) in serial number 5, for the post of “Subject Matter Specialist - [9] Analytical Chemistry”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxii) in serial number 5, for the post of “Subject Matter Specialist - [10] Agricultural Economics”, in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxiii) in serial number (5), for the post of “Subject Matter Specialist - [11] Coffee Quality”, in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxiv) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [1] Agronomy”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxv) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [2] Plant Breeding and Genetics”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxvi) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [3] Plant Tissue Culture and Biotechnology”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxvii) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [4] Plant Physiology”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxviii) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [5] Agricultural Chemistry”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxix) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [6] Plant Pathology”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
 - (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;

- (xxx) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [7] Entomology”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxxi) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [8] Biochemistry and Agricultural Engineering [Post-Harvest Technology]”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (xxxii) in serial number 6, for the post of “Assistant Specialist - [9] Coffee Quality”,-
- (a) in column (11), the word “Chairman” shall be omitted;
- (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (7) In the principal rules, in the Schedule, under the heading ‘(iii) “Technical” Posts,-
- (i) in serial number 1,-
- (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
- (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (ii) in serial number 2,-
- (a) in column (11), for the words, “By the Executive Committee”, the words, “By the Departmental Promotion Committee”, shall be substituted;
- (b) in column (12), for the word, “Chairman”, the word, “Secretary”, shall be substituted;
- (8) In the principal rules, in Annexure –I, under the heading ‘(i) “Non-Technical” Administrative or Ministerial Posts, in the Table,-
- (a) serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in serial number 2, in column (4) relating to ‘Revised pay structure [as per 6th CPC], for the letters, figures and words, “PB-3, Rs.15600- Rs.39100 with Grade Pay Rs.7600”, the letters, figures and words “PB-4, Rs. 37400- Rs.67000 with Grade Pay of Rs.10000” shall be substituted.

[F. No. 9/3/2007-Plant B]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note :-The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R.198(E), dated the 20th March, 2014.